



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

779298

वदसं - 239
धारा - 64



किस्म दस्तावेज :- विक्रय विलेख

स्टाम्प :- 1,35,000/-रु०

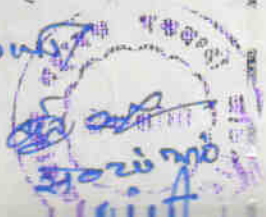
Exa-1

25/3/13

भूमि मूल्यांकन पेज नं० 20 क्रम संख्या 3 कम्प्यूटर कोड नं० 1049 जो भाग 2 (ख)
(I) अर्द्धनगरीय क्षेत्र पर स्थित है सामान्य भूमि प्रस्तावित दर 8,00,000/-रु०
प्रतिहेक्टेयर से भूमि की मालियत 9,64,000/-रु० है उक्त भूमिधरी में दूसरे कुँए
से सिंचाई होती है हकूक आवपासी की मालियत 6,000/-रु० है इस प्रकार कुल
मालियत 9,70,000/-रु० है विक्रय मूल्य 19,28,000/-रु० है इसलिए स्टाम्प
शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया गया है।



न्यायालय सचिव के आदेश
के वदसं 239 धारा 64
25-03-13 का धारा 64
के अन्तर्गत दर्ज कराया
बिना गलती



Rajesh Bansal



उप कोषगार, झाँसी

नम्बर

संज्ञा

पत्ता

दिनांक 2-8-19 उप संकड़िया, झोंसी

कार्यालय
उप कोषागार

2 SEP 2008

इतिहास

अथर्ववेद उपनिषद्

उप संपादक

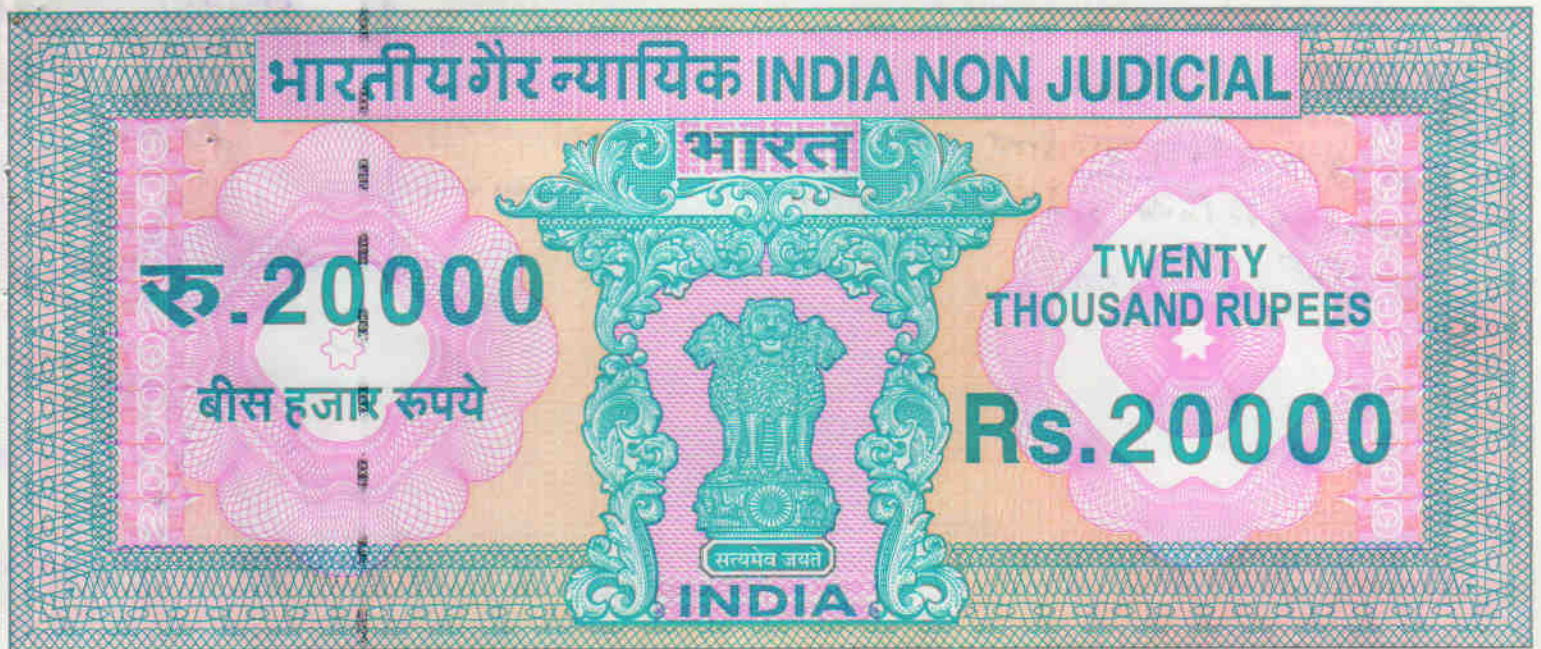
又 品

[illegible]

पुनः प्रमाणित की गयी - 000.85.61 प्रमाणित की गयी है 00 - 1,000.00.9 प्रमाणित

। हे भाग्य भागी दास यो जन्म भवति कल्याण

Second List



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

779299

(2)

1. भूमि का प्रकार :- कृषि भूमि
2. ग्राम :- ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी
3. सम्पत्ति का विवरण :- कुल विक्रयशुदा रकवा 1.205 है०
4. मापन की इकाई :- हैक्टेयर
5. सड़क की स्थिति :- झाँसी ललितपुर मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूर है आबादी से डेढ़ किलोमीटर से अधिक दूर है किसी भी सर्वेक्षित मार्ग पर स्थित नहीं है।
6. प्रविफल की राशि :- 19,28,000/-रु० में से 14,28,000/-रु० नगद व 5,00,000/-रु० जरिये चैक नं० 338019 एच० डी० एफ० सी० बैंक झाँसी दिनांक 02.09.2009 ई० को विक्रेता ने क्रेता से पूर्व प्राप्त कर लिया है।

रमेश



Rajesh Bansal



उप कोषगार, झोंसी

8534

2-1-4

नाम श्री/श्रीमती राजेश बंसल व हैसियत प्रतिनिधि इमामी प्रार्पटीज प्रा
पुत्र/पत्नी श्री ओ पी बंसल
पेशा व्यापार
निवासी 687 आनन्दपुर ई एम बाई पास रोड कोलकाता
अस्थायी पता 808 ग्वालियर रोड झोंसी

दिनांक 2-9-2009 उप कोषगार, झोंसी

कार्यालय
उप कोषगार

- 2 SEP 2009

झोंसी

विक्रय पत्र

1,928,000.00/ 1,928,000.00

5,000.00

20

5,020.00

700

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत
श्री/श्रीमती राजेश बंसल व हैसियत प्रतिनिधि इमामी प्रार्पटीज प्रा
पुत्र/पत्नी श्री ओ पी बंसल
पेशा व्यापार

निवासी स्थायी 687 आनन्दपुर ई एम बाई पास रोड कोलकाता
अस्थायी पता 808 ग्वालियर रोड झोंसी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 2/9/2009 समय 2:38PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

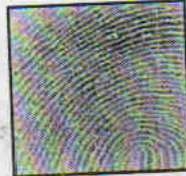


राजनाथ राम
उप निबन्धक द्वितीय
झोंसी
2/9/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती रमेश
पुत्र/पत्नी श्री अजुददी
पेशा कृषि
निवासी ग्राम खैलार तह व जिला झोंसी



क्रेता
श्री/श्रीमती राजेश बंसल व हैसियत प्रतिनिधि इमामी
प्रार्पटीज प्रा
पुत्र/पत्नी श्री ओ पी बंसल
पेशा व्यापार
निवासी 687 आनन्दपुर ई एम बाई पास रोड
कोलकाता



2-9-2009 Rajesh Bansal - राजेश बंसल उप कोषगार, झोंसी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

779300

7 :- प्रथम पक्ष की संख्या :- एक

8. द्वितीय पक्ष की संख्या :- एक

9. नाम विक्रेता (प्रथम पक्ष का विवरण):- श्री रमेश तनय श्री अजुद्दी निवासी खैलार परगना व तहसील झाँसी

10. नाम क्रेता (द्वितीय पक्ष का विवरण) :- इमामी प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड 687 आनन्दपुर ई0 एम0 बाईपास रोड कोलकाता पिन नं0 700107 द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ. पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (पेन कार्ड नम्बर AABCE 8034 G)

यह विक्रम आज दिनांक 02.09.2009 ई0 को श्री रमेश तनय श्री अजुद्दी निवासी खैलार परगना व तहसील झाँसी (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) तथा इमामी प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड 687 आनन्दपुर ई0 एम0 बाईपास रोड कोलकाता 700107 द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ. पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है) में निष्पादित किया गया है।

रमेश



Rajesh Bansal



उप कोषगार, झोंसी
4538

कार्यालय
उप कोषगार

2 SEP 2009

झोंसी

संख्या 5142/2009 दिनांक 2.9.2009
मामा 5142/2009 दिनांक 2.9.2009
पता 5142/2009 दिनांक 2.9.2009

दिनांक 2.9.2009

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री राधाचरण

पुत्र श्री रामरतन

पेशा कृषि

निवासी ग्राम व पो करगुवां वाया चिरगांव झोंसी

व श्री जय प्रकाश साहू

पुत्र श्री रामकिशन साहू

पेशा अन्य

निवासी ग्राम खेलार तह व जिला झोंसी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय

झोंसी

2/9/2009





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

779301

विक्रय सम्पत्ति का विवरण :- उक्त आराजी मौजा खैलार ब्लाक बबीना परगना व तहसील झोंसी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खाता सं०	आराजी नम्बर	रकबा
00301	2020	0.016 है०
	2021	1.842 है०
	2022	0.125 है०
	2023 / 1	1.036 है०
	2034 / 2 मि.	0.384 है०
	2035 / 2	0.085 है०
	2036	0.652 है०
	2038	0.251 है०
	2039	0.125 है०
	2040 / 2	0.304 है०

कुल 10 किता रकबा 4.820 है० में से 1/4 अपना सम्पूर्ण यानि 1.205 है० वय किया है व भूमिधरी में पेड़ नहीं है भूमिधरी मुवैया जिसमें खेती हो रही है किस्म जमीन राकड़ सोंयम सिंचित है एवं कृषि भूमि है। उक्त आराजी भूमिधरी का कुल लगान 10/-रु० वार्षिक है। उक्त भूमिधरी पुश्तैनी है।

रमेश



Rajesh Bansal



2004

Quinn's SPN's 2nd and 3rd and 4th and 5th

rest of

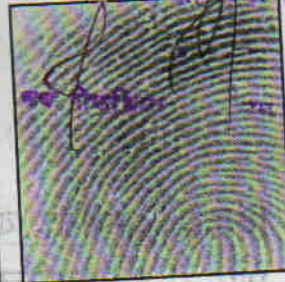
உள்ளுறுதல்

- 2 SEP 2009

झोंची

1

— ॐ शांति शांति शांति —



काशीनाथ २० अंगनावाड तहसील भांडा.

कोष लिखत है

क्रमांक	विवरण	मूल्य
05	0.010.0	5050
06	1.845.1	5051
07	0.152.0	5052
08	0.080.1	5053
09	0.384.0	5054
10	0.082.0	5055
11	0.085.0	5056
12	0.351.0	5057
13	0.152.0	5058
14	0.080.0	5059



Sub-Registrar, AMARNATH DISTRICT



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

779302

(5)

उक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विध्न, प्रतिबन्ध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इसे क्रेता को बेचने एवं हस्तांतरित करने हेतु सहमत हो चुका है। इस सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम है। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में उपरोक्त रूपया प्राप्त हो गया है।

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेता, क्रेता को उपरिलिखित भूखण्ड हमेशा के लिये विक्रय एवं हस्तांतरित करता है। इस सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार, जो विक्रेता को प्राप्त थे, वे क्रेता को प्राप्त हो गये हैं।
2. यह कि उक्त सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेता को पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्त होगा।
3. यह कि विक्रेता ने सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अधिकारों का त्याग क्रेता के पक्ष में करते हुए, सम्पत्ति क्रेता को सौंप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है। क्रेता अब इस सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिबन्ध, विध्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग एक स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेगा।
4. यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो यह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शून्य होगा।

रमेश

Rajesh Bansal



8532 2004

2 SEP 2003

इति

2nd 5428a 51. 687 310-652 810 and 410
 2nd 5428a 51. 687 310-652 810 and 410
 2nd 5428a 51. 687 310-652 810 and 410

Book No. 11

Book No.

[illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

779303

(6)

5. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कानूनी नुक्स मिलकीयत, त्रुटि होने के कारण क्रेता को सम्बन्धित कुल सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है, तो विक्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल व अचल या दोनों सम्पत्तियों के द्वारा क्रेता वसूल करने के उत्तरदायी होंगे। इसमें विक्रेता के वारिसानों को कोई एतराज नहीं होगा।
6. यह कि विक्रेता, इस सम्पत्ति को क्रेता द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यों का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है।
7. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की इस सम्पत्ति निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते हैं, तब विक्रेता उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता से अथवा उसकी और सम्पत्ति से वसूल लेवे। इसमें विक्रेता को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।

रमेश



Rajesh Bansal



2004

2. 8. 19

Sandwich shop

8/2/20

एक संशोधन

नमः श्रीगणेशाय

(c)

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

। तपस्वि हिंसा विहाय च स्वतः



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 344552

(7)

8. यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी का सम्पूर्ण रकवा जो ग्राम खैलार तहसील व जिला झॉसी में स्थित है नक्शा नजरी संलग्न है।
9. यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है।
10. यह कि यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता, विक्रेता से प्रतिफल को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल पाने के अधिकारी होंगे।

रमेश



Rajesh Bansal



3060

पुनः प्रारम्भ

2.2.2022

इसलिए प्राप्ति प्राप्त है।

इ. एन. वाईपाल रंजित रंजित रंजित

राजेश/वांलल डा. जी. जी. वांलल

प्राप्ति प्राप्त है

प्राप्ति प्राप्त है - ला. नं. - 152

स्टाम्प देण्डर तबसील

घांसी

वांलल

(1)

प्राप्ति प्राप्त है।

इ. एन. वाईपाल रंजित रंजित रंजित

इ. एन. वाईपाल रंजित रंजित रंजित

प्राप्ति प्राप्त है।

इ. एन. वाईपाल रंजित रंजित रंजित

प्राप्ति प्राप्त है।



प्राप्ति प्राप्त है



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

F 344551

11. यह कि धारा से पूर्व उल्लिखित विक्रेता एवं क्रेता शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो विक्रेता तथा क्रेता ही होगा एवं उनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, उत्तराजीवी, विधिक प्रतिनिधिपता एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे। साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त नामांकित विक्रेता विक्रय विलेख के समस्त विवरणों एवं धाराओं के प्रति विलेख में सबसे पहले दिये गये दिनांक को अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ।

उक्त फर्म ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त क्रेता श्री राजेश बंसल को आराजी खरीदने हेतु अधिकृत किया है। बैनामा की खतौनी व खसरा प्रस्तुत है लिहाजा बदरुस्ती पूर्ण होस हवास के विक्रेता ने यह विक्रय विलेख तहरीर कर दिया कि समय पर काम आवै। दिनांक 30.06.2008 ई० द्वारा संशोधित दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

राजेश



Rajesh Bansal



Хорошо! Удачи!

22/11/22

स्टाम्प वेण्डर तहसील

आ

(8)

[illegible]

(३) आपा आनी आप तज्ज्ञ प्यास ते पर चर्चायेत आप

James Linn



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 344550

दिनांक :- 02.09.2009 ई०

प्रारूपकर्ता :- अजय कुमार वर्मा का नवीन राई : झाँसी

टाईपकर्ता :- सनी कुमार तहसील झाँसी सनी कुमार

प्रस्तुत प्रमाण के निष्पादन का तत्वावधान
 श्री/श्रीमती अजय कुमार वर्मा का नवीन राई
 निवासी ...
 के द्वारा प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर निष्पादक



अजय कुमार वर्मा का नवीन राई

Rajesh Kumar



अवधि

राधाचरण 5/10 अरिभरतन

...

पत्र लखने

अवधि

अजय कुमार वर्मा का नवीन राई

...

उक्त विवरण

...

...

...

...

...

...

शाहिद महम्मद - खान नं० - 152
स्टाम्प वेण्डर तहसील
झांसी

05.02.2004 :- कां.प.

શિવેશ્વર મહાદેવ મંદિર :- ૧૫૫૫



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/बिक्रेता का नाम.....रमेश शंकर अग्रवाल.....

पता.....नि. 24/का. 40 क. तह. मोंदी.....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता बिक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रमेश

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम.....इमामा जयदीप उ. लि. 687 आनन्दपुर हा. काई पालर उ. कोलकाता.....

पता.....दर. राज. कंसल श. की 0. P. कंसल.....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



उक्त प्रपत्र निष्पादित-प्रलेख का अनिवार्य अंग माना/समझा जायेगा

निष्पादक

प्रस्तुतकर्ता बिक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

निष्पादक
Rajesh Kansal

नक्शा-नजरी

बिक्रेता का नाम श्री रमेश
 क्रेता का नाम श्री राजेश बंखरा
 मौजा खैलार

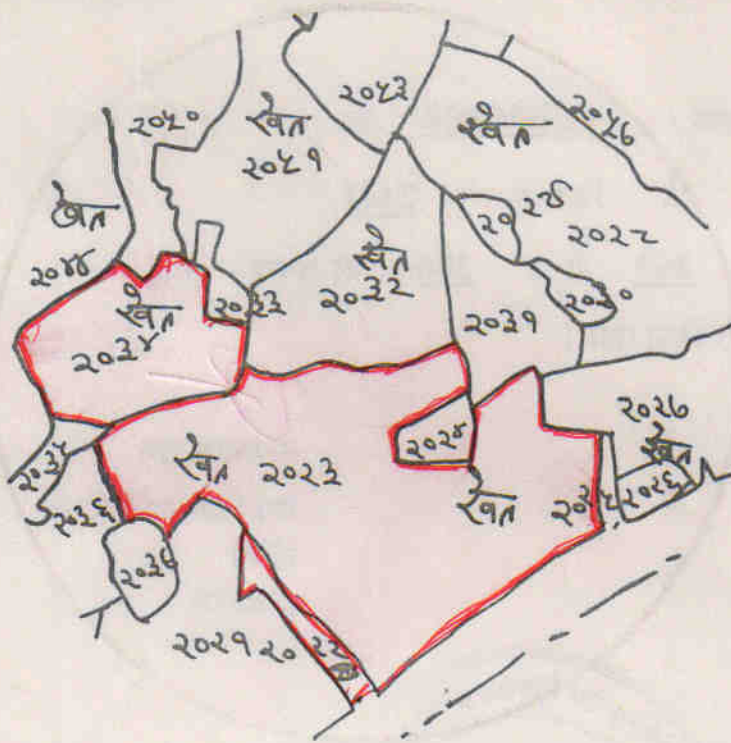
तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर - २०२२, २०२३/१, २०३४/२ मि०

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित

सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र

200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लालरंग)
से प्रदर्शित है।



२५१



हस्ताक्षर विक्रेता

Rajesh Bansal.



உரையார் செல்

ET. M. KAMRAN KHAN
APP. BY J.D.A. JHANSI
LICENSE NO. 27
DATE 02-9-2009

आज दिनांक 02/09/2009 को
वही सं 1 जिल्द सं 2441
पृष्ठ सं. 363 से 386 पर क्रमांक 4353
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


राजनाथ राम
उप निबन्धक द्वितीय
झाँसी
2/9/2009



संख्या २३९
माह २३९
दिनांक ०५

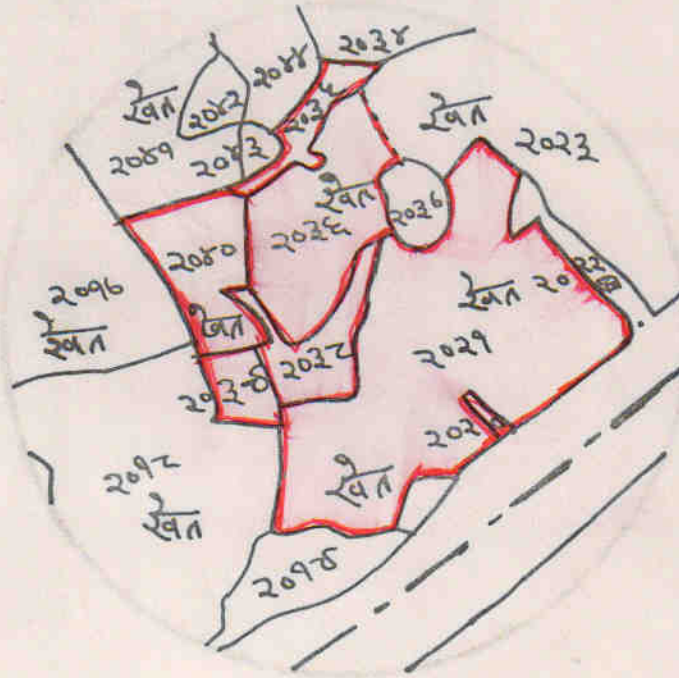
नक्शा-नजरी

बिक्रेता का नाम श्री रमेश
क्रेता का नाम श्री राजेश बंसल
मौजा खैला

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर - २०२०, २०२१, २०३५/२, २०३६,
२०३७, २०३८, २०४०/२

२०० मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र
२०० मीटर त्रिज्या की परिधि (लालरंग)
से प्रदर्शित है।



रमेश



हस्ताक्षर बिक्रेता

Rajesh Bansal



हस्ताक्षर क्रेता

E. M. KAMRAN KHAN
APP. BY J.D.A. JHANSI
LICENSE NO. 27
DATE : ०२/१-२००९